न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 20/24

1. रामपाल दहिया पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिलाचूरू
2. धम्पारानी पत्नि जीवणराम जाति मेघवाल निवासी ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. मानाराम पुत्र केशाराम जाति मेघवाल निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. उप पंजियक बीदासर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, धिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20-11-2024

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 94 घोरानवे तादादी 3.4399 तीन दशमलव चार तीन नौ नौ हेक्टेयर वाके रोही ग्राम ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादीगण 1/2 एक बट्टा दो हिस्सा भूमि के खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मुताबिक मौखिक विभाजन के वादगत भूमि में दक्षिणी साईड की 1/2 एक बट्टा दो हिस्सा भूमि वादीगण के हिस्सा पांति में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक का खान–पान, रहन–सहन अलग–अलग है। वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादीगण को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

ए वादीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने दिनांक 10.04.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 एक से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक साफ इनकार हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादीगण को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किस्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादीगण को बेदखल करेगा तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किस्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगा, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने गैरकानूनी कृत्य मे सफल हो गया तो वादीगण को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित कराये कि वोह वादीगण को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादीगण को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक की ऐलानियां धमकियां से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 3 तीन के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्रामं ढिगारिया तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीगानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बीदासर जिला–चूरू ★

ना अंकित किया है। वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री करने का निवेदन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीगण द्वारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण कब्जा काश्त के आधार पर वादगत भूमि में अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाना चाहते है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम डिगारिया खसरा संख्या 94 तादादी 3.4399 हेक्टेयर वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा है। जो वादगत भूमि में दक्षिणी साईड की है। तहसीलदार बीदासर से वादीगण की 1/2 हिस्सा भूमि का कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। इस हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर